संख्या-07/2019/2573/6-पु-7-2018-143/2015

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मख्यालय,
प्रयागराज ।

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2019

विषय- जनपद कौशाम्बी के थाना पूरामुफ्ती के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृति के सापेक्ष डी0पी0आर0/आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज के पत्र संख्या:ग्यारह-475-2015 दिनांक 21.12.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-185/6-पु0-7-16-143/2015, दिनांक 18.05.2016 द्वारा जनपद कौशाम्बी के थाना पूरामुफ्ती के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्यो हेतु रू0 697.55 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 348.78 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी थी । जनपद कौशाम्बी के थाना पूरामुफ्ती के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु डी0पी0आर0 के आधार पर श्री राज्यपाल रू0 6,57,01,000/- (रू0 छः करोड़ सत्तावन लाख एक हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि रू0 348.78 लाख समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 3,08,23,000/- (रू0 तीन करोड़ आठ लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	डी.पी.आर. के आधार पर पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018- 19 में आवंटन
1.	कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी के थाना पूरामुफ्ती के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्यो	697.55	657.01	348.78	308.23

(1) शासनादेश दिनांक 18 मई, 2016 में अंकित शर्तो के अनुसार नियत समय सीमा में, समस्त मानकों के अनुरूप एवं निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त आवश्यक वैधानिक आनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूव मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजना में पुनरावृत्ति/द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्र्तगत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रसतावित कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:07/2017/बी-1-823-/10-2017-एम-04/2017 दिनांक 21.06.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

(11) पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.8.2017 के अनुसार गर्वन्मेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जी0ई0एम0)/ई-टेण्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(12) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

2- पुलिस मुख्यालय द्वारा भविष्य में निर्माण कार्यो को पूर्ण करने में बिलम्ब को कम करने तथा निर्माण इकाई पर गहन परीक्षण व पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे जिससे मूल स्वीकृत लागत में टाइम ओवर रन व कास्ट ओवर रन कम हो सके। निर्माण के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाय। भविष्य में पुन: पुनरीक्षित आगणन के आधार पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं स्वीकृत की जायेगी।

3- प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-26 के अधीन् लेखाशीर्षक-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस आवास-06-पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य" मद से वहन की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-44/दस-2019 दिनांक 09 जनवरी, 2019 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय
एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या-07/2019/2573(1)/6-पु0-7-2018 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
5- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, गोमतीनगर लखनऊ ।
7- संबंधित समीक्षा अधिकारी ।
8- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1
9- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in